

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 10.09.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 100,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 100,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नूर आलम पुत्र रफीक निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 4000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 4000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय – **सीजे(एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नूर आलम पुत्र रफीक निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 4000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अश्लील विडियो बनाने, सदोष परिरोध व मारपीट, गाली, धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह तथा 02 अभियुक्तों को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को विन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

घटना विवरण:-

दिनांक 28.04.2022 को वादी द्वारा थाना धनघटा पर बावत वादी की नाबालिग पुत्री का नहाते समय अश्लील विडियो बनाकर विडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने, गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 161/20222 धारा 376, 342, 323, 504, 506 भादवि व 67a, 67b आईटी एक्ट तथा 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 1. मो0 दानिश पुत्र निसार 2. निसार पुत्र अताउल्लाह 3. सलमा पत्नी निसार 4. तालिब पुत्र निसार निवासीगण कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध पंजीकृत कर निरीक्षक विनय कुमार पाठक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

फैसला विवरण

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 10.09.2025 को न्यायालय – एसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर के न्यायाधीश ***श्री कृष्ण कुमार पंचम*** द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/2022 धारा 376, 342, 323, 504, 506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट, धारा 67a, 67b आईटी एक्ट के मामलों में अभियुक्त मो0 दानिश पुत्र निसार निवासी कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 342/323/504/506 भादवि व 67ए आईटी एक्ट में तथा अभियुक्तगण निसार पुत्र अताउल्लाह व तालिब पुत्र निसार निवासीगण निवासी कटया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 342 भादवि के अभियोग में दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त मो0 दानिश को धारा 342 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 323 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास, 504 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 506 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 67ए आईटी एक्ट में 03 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास तथा बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से तथा निसार व तालिब को धारा 342 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। धारा 31 सीआरपीसी के अन्तर्गत अभियुक्तगण की सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।